

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा**

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे ।। 4005

दिनांक :- 25.6.2024

**आदेश संख्या : 13/2024-25**

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा संयुक्त शासन सचिव कृषि (ग्रुप-1) विभाग के पत्र क्रमांक प.3(3)कृषि-1/2021 दिनांक 29/08/2023 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की कैडर स्ट्रेन्थ में कृषि विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

| क्र.स. | कार्यालय का नाम                                                               | संशोधन पूर्व पद |            |           | संशोधन पश्चात् पद |            |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|
|        |                                                                               | स.ले.अ.-I       | स.ले.अ.-II | क.लेखाकार | स.ले.अ.-I         | स.ले.अ.-II | क.लेखाकार |
| 1      | उपनिदेशक अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केन्द्र कृषि विभाग सवाई माधोपुर (8001639) | 0               | 0          | 0         | 0                 | 0          | 1         |

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

| विवरण                  | स.ले.अ.-I | स.ले.अ.-II | क.लेखाकार | योग   |
|------------------------|-----------|------------|-----------|-------|
| वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ | 2580      | 3824       | 5730      | 12134 |
| नवीन कैडर स्ट्रेन्थ    | 2580      | 3824       | 5731      | 12135 |

  
(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त  
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे ।। 4005

दिनांक :- 25.6.2024

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- संबंधित विभागाध्यक्ष .....
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- निजी सचिव, निदेशक ।
- पदस्थापन सहायक अलेसे ।। II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु

  
(राजेंद्र प्रसाद रैगर)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)